न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 24 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024 / 26

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)		1. श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल निवासी मेन रोड, दानपुर, बांसवाडा 327001 (विक्रेता / मालिक) मैसर्स बालाजी दुग्ध भण्डार डेयरी, मेन रोड, दानपुर, जिला बांसवाडा।
	बनाम	2. श्री चिन्तन प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रवीण कुमार निवासी निवासी 37 Sabar baug Society, Dharamnagar, Sabarmati, Ahmedabad 380005 (नोमिनी) मैसर्स– Shree Shashwat Marketing, H.o. H/342,3rd Floor, Safal 6 Opp. Hanumanpura BRTC, Dudheshwar Road, Shahilbagh, Ahmedabad-380004 Gujrat

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13–05–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **02–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **02–02–2023** को दौराने गश्त 1.50 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स बालाजी दुग्ध भण्डार डेयरी, मेन रोड, दानपुर, जिला बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहॉ पर श्री **संजय कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं** गवाहान **की उपस्थिति में मैसर्स बालाजी दुग्ध भण्डार डेयरी, मेन रोड, दानपुर, जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **गाय का शुद्ध घी (देवांश) 13 डिब्बो में, जो प्रत्येक डिब्बा 500 ग्राम** का विक्रय **हेतु रखा था। गाय का शुद्ध घी (देवांश)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **गाय का शुद्ध घी (देवांश) के 4 डिब्बे** प्रत्येक **में 500 ग्राम कुल 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **1000 / – रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **गाय का शुद्ध घी (देवांश) के 4 डिब्बे प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 लीटर** के **चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1290** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोंट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 128 दिनांक 22–02–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 99 दिनांक 09–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **गाय का शुद्ध घी (देवांश)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1290** Misbranded food under section 3(1)(zx) & Substandard food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता / मालिक को दी गई। **श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन** ने नमूने की पुनः जॉच हेतु अपील नही की है। फर्म के मालिक **श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **गाय का शुद्ध घी (देवांश)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता

ने **गाय का शुद्ध घी (देवांश) मैसर्स**- Shree Shashwat Marketing, H.o. H/342,3rd Floor, Safal-6 Opp. Hanumanpura BRTC, Dudheshwar Road, Shahilbagh, Ahmedabad-380004 Gujrat का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **गाय का शुद्ध घी (देवांश)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52, 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05–02–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27–02–2024, को अप्रार्थी सं.1 की ओर से व दिनांक 18–03–2024 को अप्रार्थी सं.2 की ओर से श्री हैमेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 18–03–2024 को अप्रार्थी सं 1 स्वयं व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हैमेन्द्र कुमार जैन ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते है तथा यह अभियुक्तगणो का प्रथम अपराध है एवं वह इसकी पुनरावृत्ति नही करेंगे इस बात के लिये आश्वस्त करते है। अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 128 दिनांक 22–02–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 99 दिनांक 09–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **गाय का शुद्ध घी (देवांश)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1290** Misbranded food under section 3(1)(zx) & Substandard food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत मिसब्राण्ड एवं 3(1)(zf) सबस्टेण्डर्ड पाया गया **गाय का शुद्ध घी (देवांश)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

धारा 52, 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल निवासी मेन रोड, दानपुर, बांसवाडा 327001 (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स बालाजी दुग्ध भण्डार डेयरी, मेन रोड, दानपुर, जिला बांसवाडा को रूपये 50000/– (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र), श्री चिन्तन प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रवीण कुमार निवासी निवासी** 37 Sabar baug Society, Dharamnagar, Sabarmati, Ahmedabad 380005 **(नोमिनी) मैसर्स** Shree Shashwat Marketing, H.o. H/342,3rd Floor, Safal-6 Opp. Hanumanpura BRTC, Dudheshwar Road, Shahilbagh, Ahmedabad-380004 Gujrat **को रूपये 200000/– (अक्षरे दो लाख रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां; (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13–05–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)